

परिशिष्ट ट

प्रारूप-ण

(नियम 22(क)(6)देखिए )

धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना

क्रमांक KDWLP17112447324/ दिनांक / 18/NOV/2024

क्र./1510/नग्रानि/Khandwa

दिनांक 18/NOV/2024

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (Abhilash Chourey)-SMT. ABHILASHA CHOUREY W/O SHRI TUSHAR CHOUREY जो नगर/ग्राम Khandwa taraf kunbi के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक 1086 दिनांक 2020-10-23 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL , SELF HOUSE प्रयोजन के भू - खण्ड क्रमांक 189, 190 को स्वामी हैं, और श्री/श्रीमती/मेसर्स (Abhilash Chourey)-SMT. ABHILASHA CHOUREY W/O SHRI TUSHAR CHOUREY जो नगर Khandwa Nagar ग्राम Khandwa taraf kunbi के खसरा क्रमांक 1029/1 में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक 1086 दिनांक 2020-10-23 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL , SELF HOUSE प्रयोजन के भू-खण्ड अथवा नगर / ग्राम Khandwa taraf kunbi खसरा क्रमांक 1029/1 रकबा 0.547 भूमि जिसका भूमि उपयोग RESIDENTIAL है,के स्वामी है द्वारा उपरोक्त भू - खण्ड/भू - खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा

<https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp=eEz1kwW814>

पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि / भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website <https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx> पर किया जा सकता है ।

उप संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
खण्डवा मध्यप्रदेश,